छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

----0000--

//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/07/2020

क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1 : कोविड-19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2019-20 के अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की सभी विषयों की परीक्षाएं यू.जी.सी. द्वारा दिनांक 06.07.2020 को जारी निर्देश के पालन में निम्नानुसार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है :-

1.1 विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र Online (E-mail आदि) पर भेजा जावे।

1.2 प्रश्नों के उत्तर घर पर ही लिखने की समय सीमा के साथ उत्तर भेजने की अंतिम तिथि निर्धारित की जाए।

1.3 निर्धारित अंतिम तिथि तक विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका Online (निर्धारित E-mail आदि) अथवा परीक्षा केन्द्र पर स्पीड पोस्ट से पोस्ट करने का विकल्प दिया जाए।

1.4 प्रेषित उत्तर पुस्तिका की पावती विद्यार्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

1.5 किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित अथवा जारी परीक्षाफल से असंतुष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए। (इसके लिए स्थितियां सामान्य होने पर विश्वविद्यालयों द्वारा विशेष परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की जाए।)

1.6 स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम तीनों वर्ष की परीक्षाएं उपरोक्त पद्धति से आयोजित की जाएं।

1.7 परीक्षा आयोजन के पूर्व सभी विद्यार्थियों के E-mail आदि की अधिकृत जानकारी संकलित कर ली जाए।

1.8 परीक्षा आयोजन/तिथि की सूचना पर्याप्त समय पूर्व दी जाए। व्यक्तिगत E-mail आदि के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की वेबसाइट एवं स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना जारी की जाए।

1.9 प्रथमतः स्वशासी महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित की जाए तथा परीक्षा के आयोजन में कठिनाई हो तो उनका निराकरण करते हुए शेष महाविद्यालयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाए।

1.10 यथा संभव उपरोक्त परीक्षाओं का आयोजन माह सितम्बर, 2020 तक पूर्ण किया जाए।

2/ कोविड–19 के कारण विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश प्रकिया एवं क्लास रूम टीचिंग के बारे में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

प्रवेश प्रकिया –

कक्षा 12वीं का स्टेट बोर्ड तथा सी.बी.एस.ई. का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। अतः यू.जी. प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रकिया 01 अगस्त, 2020 से प्रारंभ की जाए तथा अन्य कक्षाओं में प्रवेश पूर्ववर्ती कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात 15 दिवस में पूर्ण किये जाएं।

क्लासरूम शिक्षण –

माह सितम्बर से चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ करते हुए कोविड–19 के संक्रमण की स्थितियां सामान्य होने की स्थिति में क्लासरूम शिक्षण प्रारंभ करने पर विचार किया जाए।

3/ उपर्युक्त प्रकिया/कार्यवाही में सुसंगत अध्यादेश में आवश्यकतानुसार एक बार अपवाद स्वरूप शिथलीकरण/संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(जी.एल. सांकला)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र.एफ 3–33/2020/38–1 **नवा रायपुर अटल नगर,दि. 30/07/2020**

प्रतिलिपि

01. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
02. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर,
03. कुलपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,

04. कुलपति, कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, काठाडीह, रायपुर,
05. कुलपति, पं. सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विशविद्यालय, कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर,
06. कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
07. कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर,
08. कुलपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, अंबिकापुर,
09. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, राजनांदगांव,
10. कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग,
11. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर। कृपया संबंधित शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,
13. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
14. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक,
15. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
16. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर,

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग